भारतसरकार Government of India
रेलमंत्रालय Ministry of Railways
रेलवेबोर्ड(Railway Board)

RBA No. 57 /2022

GST Circular No. 17 /2022.

No. 2017/AC-II/1/6/GST/Main/Vol. IV New Delhi, dated 28.12.2022

Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units

Sub:-Guidelines for implementation of GST implications on recovery of Liquidated Damages
Ref:- Board's letter No. 2017/AC-II/1/6/GST/Main/Vol. III dated 10.08.2022 (RBA No. 41/2022 dated 10.08.20 22)

Please connect Board's letter ibid on the above subject wherein an illustration was also provided to explain the GST implications on recovery of Liquidated Damages. In the said illustration, the amount of liquidated damages was calculated at the taxable value i.e., excluding GST amount. In this connection, a few vendors and Zonal Railways have sought clarification regarding the taxability of GST on gross value of supply. The matter has been examined. It is clarified that amount of Liquidated damages shall depend upon the terms of the contract (i.e., it may be calculated on the gross value of supply, i.e., inclusive of GST OR on basic value of supply excluding GST as provided for in the contract). Accordingly, the illustration may be read, as under:

Existing Illustration	May be read as under
Assuming, vendor 'A' raised invoice for INR 118 (INR 100 taxable value + INR 18 GST). However, owing to certain non-performance, liquidated damage of INR 10 (10% of the taxable value) is recoverable by Railways from such vendor. In the instant illustration,	Assuming, vendor raised invoice for INR 118 (INR 100 taxable value + INR 18 GST), however, owing to certain non-performance, liquidated damages recoverable from such vendor as per the contract terms is, say -

Indian Railways, in net, needs to pay INR 108 to 'A' (value of supply with GST: 118 less amount of liquidated damages without GST: 10). Please note that such payment would also be subject to other deductions such as GST-TDS.	• <u>10% of the gross invoice amount</u> In such case, liquidated damages of INR 11.8 (10% of INR 118) are recoverable by Railways and payment of INR 106.2 shall be made to the vendor (value of supply with GST: INR 118 less the amount of liquidated damages without any GST thereon: INR 11.8). • <u>10% of the taxable amount</u> In such case, liquidated damages of INR 10 (10% of INR 100) are recoverable by Railways and payment of INR 108 shall be made to the vendor (value of supply with GST: INR 118 less amount of liquidated damages without any GST thereon: INR 10). In the above examples, INR 11.8 or INR 10, as the case may be, represents the actual liquidated damages amount without any GST thereon. Other deductions such as GST-TDS etc shall be deducted as applicable.

Railways/Units may take note of the above for necessary action.

(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. General Manager. All Zonal Railways and Production Units
2. All EDs of the ED level Empowered Committee in Railway Board
3. All Directors of GST Cell, Railway Board
4. Managing Director, Centre for Railway Information Systems, Chanakyapuri, New Delhi
5. WGM/GST, GM/AIMS, CRIS, New Delhi

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 57/2022
जीएसटी परिपत्र सं. 17/2022
सं. 2017/एसी-।।/1/6/जीएसटी/मेन/वॉल. IV नई दिल्ली, दिनांक 28.12.2022

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: परिनिर्धारित नुकसानियों की वसूली पर जीएसटी निहितार्थ के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश।
संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 10.08.2022 का पत्र सं. 2017/एसी-।।/1/6/जीएसटी/मेन/वॉल. ।।। (दिनांक 10.08.2022 का आरबीए सं. 41/2022)

कृपया उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के पूर्वोक्त पत्र का अवलोकन करें, जिसमें परिनिर्धारित नुकसानियों की वसूली पर जीएसटी निहितार्थ की व्याख्या के लिए उदाहरण भी दिया गया था। उल्लिखित उदाहरण में, परिनिर्धारित नुकसानियों की राशि की गणना कर-योग्य मूल्य पर की गई थी अर्थात् जीएसटी राशि को छोड़कर। इस संबंध में, कुछ वेंडरों और क्षेत्रीय रेलों द्वारा आपूर्ति के सकल मूल्य पर जीएसटी की कर देयता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामले की जांच की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि परिनिर्धारित नुकसानियों की राशि संविदा (अर्थात् इसकी गणना आपूर्ति के सकल मूल्य पर की जाए, अर्थात् जीएसटी के साथ या जीएसटी को छोड़कर आपूर्ति के मूल्य के आधार पर, जैसा कि संविदा में दिया गया है) पर आधारित होगी। तदनुसार, उदाहरण को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

मौजूदा उदाहरण	निम्नानुसार पढ़ा जाए
यह मान लें कि वेंडर 'क' ने 118 भारतीय रुपए के लिए बीजक बनाया है (100 भारतीय रुपए कर योग्य मूल्य + 18 भारतीय रुपए जीएसटी)। बहरहाल, कुछ गैर-निष्पादन के कारण, रेलवे द्वारा ऐसे वेंडर से 10 भारतीय रुपए का परिनिर्धारित नुकसान वसूल किया जाता है। ऐसे वर्तमान उदाहरण में, भारतीय रेल द्वारा 'क' को शुद्ध रूप से 108 भारतीय रुपए का भुगतान करने की आवश्यकता है (जीएसटी के साथ आपूर्ति का मूल्य: 118, जीएसटी के बिना परिनिर्धारित नुकसानियों की कम राशि:10)। कृपया नोट करें कि ऐसे भुगतान, जीएसटी-टीडीएस जैसी अन्य कटौतियों के अध्यधीन होंगे।	यह मान लें कि वेंडर 'क' ने 118 भारतीय रुपए के लिए बीजक बनाया है (100 भारतीय रुपए कर योग्य मूल्य + 18 भारतीय रुपए जीएसटी)। बहरहाल, कुछ गैर-निष्पादन के कारण ऐसे वेंडर से संविदा के निबंधनों के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान वसूलनीय है, उदाहरण - • <u>सकल बीजक राशि का 10%</u> ऐसे मामले में, 11.8 (118 भारतीय रुपए का 10%) भारतीय रुपए की परिनिर्धारित नुकसानियां रेलवे द्वारा वसूलनीय हैं और वेंडर को 106.2 भारतीय रुपए का भुगतान किया जाएगा (जीएसटी के साथ आपूर्ति का

	मूल्य: 118, बिना किसी जीएसटी के परिनिर्धारित नुकसान की कम राशि: 11.8 भारतीय रुपए)। • <u>कर-योग्य राशि का 10%</u> ऐसे मामले में, 10 भारतीय रुपए (100 भारतीय रुपयों का 10%) की परिनिर्धारित नुकसानियां रेलवे द्वारा वसूलनीय हैं और वेंडर को 108 भारतीय रुपए का भुगतान किया जाएगा (जीएसटी के साथ आपूर्ति का मूल्य: 118 भारतीय रुपए, बिना किसी जीएसटी के परिनिर्धारित नुकसान की कम राशि: 10/- भारतीय रुपए) उपर्युक्त उदाहरणों में 11.8 भारतीय रुपए या 10 भारतीय रुपए जैसा भी मामला हो, बिना किसी जीएसटी के वास्तविक परिनिर्धारित नुकसान राशि को दर्शाते हैं। अन्य कटौतियां जैसे जीएसटी-टीडीएस आदि की कटौती की जाएगी, जैसा भी लागू हो।

रेलें/इकाइयां आवश्यक कार्रवाई के लिए उपर्युक्त का ध्यान रखें।

(संजीव शर्मा)
विकाधि/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
2. रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक स्तर सशक्त समिति के सभी कार्यपालक निदेशक।
3. रेलवे बोर्ड में निदेशक स्तर जीएसटी सेल के सभी निदेशक।
4. प्रबंध निदेशक, रेल सूचना प्रणाली केन्द्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. डब्ल्यूजीएम/जीएसटी, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस, नई दिल्ली।